1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

May 2019 04
Wk 18 • 124-241
Saturday

1995 के अशक्तता संबंधी एक्ट
The Disability Act 1995.

निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का राजपत्र के अध्याय - 2 के अनुसार विवरण है —

विशिष्टता और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय समन्वय समिति, निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं का अनुपालन कर सकेगी, अर्थात् —

(1) सरकार के सभी ऐसे विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के जो निःशक्त व्यक्तियों से सम्बंधित है। क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना।

(2) निःशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने के लिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना।

Sunday 05

(3) निःशक्त की नीतियां कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएँ तैयार करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

(4) केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके दाता अभिकरणों की वित्त पोषण नीतियों का निःशक्त व्यक्तियों पर उनका प्रभाव के परिप्रेक्ष्य उनकी विधि जुटाने

Important Calls ✓
Things to Do ✓
Meetings ✓

2019
Monday Wk 19 • 126-239

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

में पुनरावलोकन करना।

(5) सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थलों जन सुविधा स्थलों विद्यालयों और संस्थाओं में बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य उपाय करना। ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार विहित करें।

(16) निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का राजतंत्र के अध्याय-4 के अनुसार विवरण यों है —

निःशक्तता का निवारण और शीघ्र पता चलाया जाना —

(1) अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्तता की आवृत्ति निवारण की दृष्टि से —

(2) निःशक्तता की आवृत्ति के कारण से सम्बंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करेंगे।

(3) निःशक्तता का निवारण करने की विभिन्न पद्धतियों का संवर्धन करेंगे जोखिम वाले मामलों को पहचानने

(4) के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जाँच करेंगे

Important Calls | Things to Do | Meetings

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

(6) साधारण स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता अभियानों को आयोजित करेंगे। या जानकारी प्रसारित करेंगे।

(7) माता और संतान की प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन और प्रसव पश्चात देख-रेख के लिए उपाय करेंगे।

(8) विद्यालय पूर्व विद्यालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करेंगे।

(VIII) निःशक्तता के कारणों और अपनाये जाने वाले निवारक उपायों पर टेलीविजन, रेडियो और अन्य जनसम्पर्क साधनों के माध्यम से जन साधारण के मध्य जागरूकता पैदा करेंगे।

निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का राजतंत्र के अध्याय-5 के अनुसार विवरण यों है —

समचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारी
समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि की व्यवस्था किया जाना —

Important Calls ✓
Things to Do ✓
Meetings ✓

समुचित सरकारों द्वारा निःशक्त बालकों के विद्यालयों के लिए शिक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापित किया जाना।
— समुचित सरकारें ऐसी नई सहायक युक्तियाँ शिक्षा सहायक यंत्रों और विशेष शिक्षण सामग्री या ऐसी अन्य वस्तुओं को जो किसी निःशक्त बालक को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हो, डिजाइन और उनके लिए अनुसंधान करेंगी या सरकारी, गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान कराएंगी।
समुचित सरकारों द्वारा परिवहन सुविधाओं, पुस्तकों के प्रदान आदि के लिए व्यापक शिक्षा स्कीम का तैयार किया जाना —

(i) निःशक्त बालकों के लिए परिवहन सुविधाएँ या उनके माता-पिता व अभिभावकों को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन, जिससे कि उनके निःशक्त बालक विद्यालयों में जा सकें।
(ii) निःशक्त बालकों को छात्रवृत्ति देना दृष्टिहीन विद्यार्थियों और कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के फायदे के लिए प्रक्रिया गणित सम्बन्धी प्रश्नों को हटाने के लिए परीक्षा पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन करना। निःशक्त बालकों के फायदे के लिए पाठ्यक्रम

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings ✓

की पुनः संरचना करना।

(iii) श्रवण शक्ति की ह्रास वाले विद्यार्थियों के फायदे के लिए उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक — — — लेने हेतु उन्हें सुनकर बनाने के लिए पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना।

(iv) निःशक्त बालकों को छात्रवृत्ति देना।

(v) विद्यालय जाने वाले निःशक्त बालकों के लिए पुस्तकों, वर्दियों और अन्य सामग्री को प्रदान करना।

(vi) निःशक्त बालकों के पुनर्वास के बाबत उनके माता-पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित मंच स्थापित करना।

(vii) निःशक्त बालकों के फायदे के लिए पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना।

Important Calls
Things to Do
Meetings